न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—21/2020 (2020/00052) वाद पत्र

अनवान

1—आशा पुत्री गेहरीलाल सालवी नाबाबेवि जरिये नाना शंकरलाल पिता छोगा सालवी निवासी कारोल हाल धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—हिम्मत पुत्र गेहरीलाल सालवी नाबाबेवि जरिये नाना शंकरलाल पिता छोगा सालवी निवासी कारोल हाल धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—संतोक पुत्री गेहरीलाल सालवी नाबाबेवि जरिये नाना शंकरलाल पिता छोगा सालवी निवासी कारोल हाल धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—सोहन पिता गुलाब सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—पानी पुत्री सोहनलाल पत्नि नारायणलाल सालवी निवासी आसुणा तहसील रायपुर
3—उदा पिता नंगजी सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—लेहरी पत्नि नंगजी सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मगना पिता गुलाब सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नारायणलाल पिता सायर सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—तुलसी पुत्री सायर सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—कमला पुत्री सायर सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—जमना पुत्री सायर सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—मांगी पुत्री सायर सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद— अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः—01.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कारोल तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की मौरूषी पैतृक साबिक कृषि आराजियात साबिक खाता संख्या 6 में अंकित साबिक आ. सं. 85/1 रकबा 3 बिस्वा, आ. सं. 87 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा आ.सं. 89 रकबा 13 बिस्वा आ.सं. 94 रकबा 4 बिस्वा, आ. सं. 148 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा आ.सं. 200/1 रकबा 19 बिस्वा आ.सं. 225 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आ.सं. 226 रकबा 1 [illegible] 3 बिस्वा, आ.सं. 229 रकबा 2 बिस्वा, आ.सं. 230 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा स्थित हैं। चाह संख्या 227 रकबा 3 बिस्वा स्थित है। प्रमाण में स[illegible] जमाबंदी सम्वत 2010 से 2012 व सम्वत 2026 से 2029 की वादपत्र के साथ पेश की है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होकर धर्म से हिन्दु होकर हिन्दु विधी से शासित होते हैं। वादीगण के दादा जी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सोहन के पिता गुलाब हैं जिनके मूल पुरुष हेमा जी सालवी थे। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात वादीगण के दादाजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

सोहन जी के पिता गुलाब जी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। गुलाब पिता हेमा जी के चार पुत्र नंगजी, सोहन, सायर, मगना हुए। प्रतिवादी संख्या एक सोहन वादीगण के दादा जी हैं। वादीगण के पिता गेहरीलाल व प्रतिवादी संख्या 2 सोहन जी के पुत्र व पुत्री हैं। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 नंगजी के वारिस हैं तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 10 सायर के वारिस हैं। वादीगण के दादा जी सोहन जी जीवित हैं तथा इनका उक्त वादग्रस्त साबिक कृषि आराजियात में 1/4 हिस्सा हैं। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात वादीगण की मौरूषी भूमियां हैं जिन पर वादीगण का जन्म से हक अधिकार हैं वादीगण के पिता गेहरीलाल की मृत्यु दिनांक 8.3.12 को हो चुकी हैं। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या एक व दो ने वादीगण व उनकी माता के साथ मारपीट करने लग गए तथा आए दिन गाली गलोच कर प्रताड़ित करने लग गए तथा वादीगण एवं उनकी माता को जनवरी 2019 में मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया तथा धमकी दी कि आज के बाद यहां आए तो तुम्हे जान से मार देंगे तब से वादीगण ग्राम धूलखेड़ा में अपने नाना के साथ उनकी संरक्षता में निवास कर रहे हैं तथा वादीगण की माता ने दूसरा नाता विवाह कर लिया है। ग्राम कारोल में भुप्रबंध होने से वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित ग्राम कारोल की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर व खाता निम्न कायम किए गए खाता संख्या 14 में अंकित नवीन आ. सं. 124 रकबा 0.03 हैक्ट, आ.सं. 126 रकबा 0.28 हैक्ट. आ.सं. 128 रकबा 0.14 हैक्ट. आ.सं. 135 रकबा 0.04 हैक्ट, आ.सं. 197 रकबा 1.49 हेक्ट आ.सं. 261 रकबा 0.21 हैक्ट. आ.सं. 290 रकबा 0.24 हैक्ट आ.स. 291 रकबा 0.36 हैक्ट, आ.सं. 294 रकबा 0.02 हैक्ट आ.स. 295 रकबा 0.02 हैक्ट. कुल किता 10 कुल रकबा 2.83 हैक्ट. इसी तरह कारोल की साबिक कृषि आराजियात संख्या 227 के खाता संख्या 13 में अंकित आ. सं. 292 रकबा 0.03 हैक्ट कायम किए गए। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान जमाबंदी की नकल वादपत्र के साथ पेश हैं। वादपत्र की कलम संख्या चार में अंकित खाता संख्या 13, 14 में अंकित कृषि आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व दो की मौरूषी कृषि भूमियां हैं जिसमें वादीगण के पिता गेहरीलाल जी का व वादीगण का जन्म से हक एवं हिस्सा है परंतु प्रतिवादी संख्या एक व दो ने आपस में दुरभि संधी कर वादीगण को उनके जायज हक से महरूम करने की नियत से वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वादीगण व उनकी माता को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया तथा बिना किसी विधिक आवश्यकता के प्रतिवादी संख्या एक ने वादग्रस्त भूमी में अपने संपूर्ण हिस्से को बिना किसी प्रतिफल के नुमायशी तौर पर प्रतिवादी संख्या दो के पक्ष में विक्रय करते हुए दिनांक 2.3.2020 को विक्रयपत्र का पंजीयन करवा दिया जो गलत होकर अवैध हैं। प्रतिवादी संख्या एक को संपूर्ण वादग्रस्त मौरूषी भूमियों को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 2.3.2020 वादीगण के मुकाबले शुरू से शुन्य होकर अवैध है तथा प्रतिवादी संख्या दो को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादग्रस्त भूमीयों में वादीगण का प्रतिवादी संख्या एक के 1/4 हिस्से में प्रतिवादी संख्या दो के साथ बराबर हिस्सा हैं। जिन पर वादीगण अपनी माता के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण प्रतिवादी संख्या एक के पुत्र गेहरीलाल के वारीसान हैं जिससे उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण का जन्म से हक एवं हिस्सा हैं जिससे वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घौषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का खाता संख्या 14 में 1/12 हिस्सा तथा खाता संख्या 13 में वादीगण का 1/24 हिस्सा है। अतः श्रीमान से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घौषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम कारोल के खाता संख्या 14 में अकिंत आराजी संख्या 124 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 126 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 128 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 135 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या, 197 रकबा 1.49 है0, आराजी संख्या 261 रकबा 0.21 है0, आराजी सख्या 290 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 291 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 294 रकबा 0.02 है0 आराजी संख्या 295 रकबा 0.02 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.83 है0 में वादीगण को 1/12 हिस्से तथा खाता संख्या 13 में अकिंत आराजी संख्या 292 रकबा 0.03 है0 में वादीगण का 1/24 हिस्सा के वादीगण खातेदार काश्तकार है तदानुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 11 को दिया जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जाए कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के निहित हिस्से को किसी अन्य को रहन को रहन बय बक्षीस नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 11 प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करे तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमियो को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस कर वादीगण को कब्जे काश्त से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के पुनः वादीगण के नाम दर्ज करवा कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल स्वयं उपस्थित हुए जिन्होने वादीगण का वादस्वीकृत करने कोई आपत्ति नही की एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 11 फौरमल पक्षकार है जिससे कोई राहत नही चाही गई।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई

वादीगण अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में नारायण पिता सायर जाति बलाई निवासी कारोल, सोहनलाल पिता गुलाब बलाई, उदा पिता नंगजी सालवी, मगना पिता गुलाब सालवी, भैरूसिंह पिता धनसिंह राजपूत समस्त निवासी कारोल के बयान कराये गये। अन्त में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादीगण के पिता गेहरीलाल प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र एवं वादीगण को गेहरीलाल के पुत्र पुत्री होना स्वीकार किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया वादवर्णित आराजियात वादीगण के मूल पुरूष गुलाब जी की खातेदारी भूमि जिसमें उनके फोत होने पर वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 सोहन पिता गुलाब के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारीसान के रूप में वादीगण के पिता गेहरीलाल एवं प्रतिवादी ... सोहनलाल है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने बयान में कहा कि वादवर्णित ... /4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है और मेरे जायन्दा एक पुत्र गेहरीलाल था ज... करीब 10 वर्ष ... हो चुका है उनके पुत्र हिम्मत व 2 पुत्रीया आशा व सन्तोष है एवं ... ता विवाह कर लिया और वर्तमान में मेरे पुत्र गेहरीलाल के पुत्र पुत्री उनके ना... शंकरलाल पिता छोगा सालवी निवासी धूलखेड़ा के पास रहे रह है मेरे नाम की कृषि भूमि में मेरे पुत्र गेहरीलाल व मेरी पुत्री पानी का बराबर हक हिस्सा है एवं गेहरीलाल की मृत्यु होने से उनके हक हिस्से की भूमि उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र पुत्रीयो के नाम पर दर्ज होनी चाहिये। मेरे नाम की जो कृषि भूमि थी वो समस्त मेरी पुत्री पानी के नाम विक्रय करा दी गई जिसका कोई रूपया पैसा प्रतिफल प्राप्त नही किया और मेरी पुत्री पानी ने कहा कि आपकी बुढ़ापे में सेवा चाकरी कोन करेगा इसलिये जमीन मेरे नाम करवा दो मे आपकी सेवा चाकरी करूंगी इसलिये मे विश्वास में आकर रजिस्ट्री करवा दी। मेरी मूल भावना है कि इन बच्चे बच्चियो के नाम पर भूमि दर्ज होनी चाहिये मुझे भी भगवान के घर जाकर जवाब देना है। मेर से जो भूल / गलती हो गई उसका नुकसान मेरे पोते पोती नही भुगते इसलिये मेरे द्वारा जो मेरी पुत्री पानी के नाम सम्पूर्ण भूमि की रजिस्ट्री करवा दी गई उसमे आधी जमीन वादीगण मेरे पोते पोती के नाम होनी चाहिये। इसी प्रकार अन्य गवाहो के द्वारा भी इसी बात की ताहिद की गई। वादवर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 4 हिस्सा है जो अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 02.03.2020 को प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दी गई जिससे प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है विक्रयशुदा भूमि में वादीगण के पिता का 1 / 2 हिस्सा अर्थात 1 / 8 हिस्सा जन्म से निहित है एवं 1 / 8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का निहित है। वादीगण के पिता के फोत होने से उनके 1 / 8 हिस्से की भूमि के वादीगण हकदार है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर में वादवर्णित खाता संख्या 14 में अकिंत आराजी संख्या 124 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 126 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 128 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 135 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या, 197 रकबा 1.49 है0, आराजी संख्या 261 रकबा 0.21 है0, आराजी सख्ंया 290 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 291 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 294 रकबा 0.02 है0 आराजी संख्या 295 रकबा 0.02 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.83 है0 में से प्रतिवादी संख्या 2 पानी के नाम विक्रय की गई भूमि 1 / 4 हिस्से मे से वादीगण को 1 / 8 हिस्से का तथा खाता संख्या 13 में अकिंत आराजी संख्या 292 रकबा 0.03 है0 में से प्रतिवादी संख्या 2 पानी के नाम विक्रय की गई भूमि 1 / 8 हिस्से मे से वादीगण को 1 / 16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.11.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–21 / 2020 (2020 / 00052) वाद पत्र

अनवान

1–आशा पुत्री गेहरीलाल सालवी नाबाबेवि जरिये नाना शंकरलाल पिता छोगा सालवी निवासी कारोल हाल धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–हिम्मत पुत्र गेहरीलाल सालवी नाबाबेवि जरिये नाना शंकरलाल पिता छोगा सालवी निवासी कारोल हाल धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–संतोक पुत्री गेहरीलाल सालवी नाबाबेवि जरिये नाना शंकरलाल पिता छोगा सालवी निवासी कारोल हाल धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–सोहन पिता गुलाब सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–पानी पुत्री सोहनलाल पत्नि नारायणलाल सालवी निवासी आसुणा तहसील रायपुर
3–उदा पिता नंगजी सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–लेहरी पत्नि नंगजी सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–मगना पिता गुलाब सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–नारायणलाल पिता सायर सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–तुलसी पुत्री सायर सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–कमला पुत्री सायर सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–जमना पुत्री सायर सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–मांगी पुत्री सायर सालवी निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर में वादवर्णित खाता संख्या 14 में अकिंत आराजी संख्या 124 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 126 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 128 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 135 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या, 197 रकबा 1.49 है0, आराजी संख्या 261 रकबा 0.21 है0, आराजी सख्या 290 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 291 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 294 रकबा 0.02 है0 आराजी संख्या 295 रकबा 0.02 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.83 है0 में से प्रतिवादी संख्या 2 पानी के नाम विक्रय की गई भूमि 1/4 हिस्से मे से वादीगण को 1/8 हिस्से का तथा खाता संख्या 13 में अकिंत आराजी संख्या 293 रकबा 0.03 है0 में से प्रतिवादी संख्या 2 पानी के नाम विक्रय की गई भूमि 1/8 हिस्से मे से वादीगण को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 01.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

1.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा